मध्य प्रदेश शाासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,
भोपाल

क्रमांक 263 / आर–190 / चार / ब–1 / 07 भोपाल, दिनांक 11 / 03 / 2007

प्रति,

प्रमुख सचिव / सचिव
आवास एवं पर्यावरण, जल संसाधन, लोक निर्माण,
नर्मदा घाटी विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
ग्रामीण विकास विभाग ।

विषयः–निर्माण विभागों में निर्माण कार्य हेतु वर्तमान साख–व्यवस्था के स्थान पर आहरण की नई व्यवस्था।

संदर्भः–इस विभाग का पत्र क्र–292 / 251 / ब–1 / चार / दिनांक 23 मार्च, 2006

–0–

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खण्ड–1 भाग–2 के सहायक नियम 461 के अनुसार निर्माण विभाग के अधिकारी राजकोष से देयकों के साथ–साथ धनादेशों के माध्यम से भी धनराशि निकालने के लिये अधिकृत हैं। धनादेश के माध्यम से निधियों के आहरण हेतु कोषालय संहिता खण्ड–1 भाग–2 अध्याय 3 सहायक नियम 153 एवं 154 अनुसार आहरण अधिकारी के पक्ष में साख–पत्र दिये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग के पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को निरस्त करते हुये संदर्भित पत्र क्रमांक 292 / 251 / ब–1 / चार / दिनांक 23 मार्च, 2006 के अनुसार साख–पत्र प्रदाय व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यपालन यंत्रियों को प्रतिमाह साख–पत्र जारी किये जाते हैं। साख–पत्र प्रतिमाह जारी किये जाने की व्यवस्था में कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयां अनुभव की गई हैं। राज्य शासन ने विचारोपरान्त निर्माण विभागों में साख–पत्र प्रणाली एक अप्रैल, 2007 से समाप्त कर बजट आवंटन कोषालयों के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

<u>ctV vkoaVu&</u>

2 वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बजट नियंत्रक अधिकारी को बजट आवंटन दिया जायेगा, जिसे बजट नियंत्रक अधिकारी (B C O) द्वारा कार्य पालन यंत्रियों को पुनरावंटन किया जायेगा।

3 बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी पुनरावंटन आदेश की लिखित तथा सा ट प्रति आयु त, कोष एवं लेखा को दी जायेगी तथा इसे संचालनालय कोष एवं लेखा के केन्द्रीय सर्वर पर इन्द्राज कराया जायेगा। पुनरावंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषालय को भी दी जायगी।

4 आयोजना मद अन्तर्गत कार्ययोजना का निर्धारण बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा निर्माण कार्यों की वास्तविक प्रगति के आधार पर दो माह की अवधि में अधिकतम एक बार उसे संशोधित किया जा सकेगा। संशोधन आदेश का प्रा प परिशिष्ट– क पर है। इस संशोधन आदेश को संचालनालय कोष एवं लेखा के केन्द्रीय सर्वर पर इन्द्राज कराया जायेगा।

5 बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आयोजनेतर मद में निर्माण/अनुरक्षण/मर मत आदि स्कीम कोड वर्गीकरण अनुसार बजट पुनरावंटन कार्यपालन यंत्रियों को किया जायेगा। बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा पुनरावंटन आदेश में राजकोष से धनराशि आहरण हेतु कार्यपालन यंत्रियों की माहवार सीमा भी निश्चित की जायेगी।

6 डिपाजिट मद में किये जाने वाले कार्यों को कोषालय द्वारा क प्यूटर जनित आई डी (I D) दी जायेगी। कार्यपालन यंत्रियों द्वारा डिपाजिट मद में संबंधित कार्य हेतु जमा धनराशि की सीमा तक आहरण किया जा सकेगा।

7 डिपाजिट मद में एक अप्रैल, 2007 की स्थिति में कार्यवार पूर्व शेष (Opening Balance) का विवरण बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आयु त, कोष एवं लेखा को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पूर्व शेष के विवरण को बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा महालेखाकार से 30 जून, 2007 तक सत्यापित कराया जाकर आयु त कोष एवं लेखा को सूचित किया जायेगा।

इसी प्रकार लोक लेखा से सि यूरिटी डिपाजिट, सुरक्षा जमा निधि एवं अन्य कटौती की जमा राशि का आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरण के लिये एक अप्रैल, 2007 की स्थिति में पूर्व शेष का विवरण बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आयु त, कोष एवं लेखा को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पूर्व शेष के विवरण को बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा महालेखाकार से 30 जून, 2007 तक सत्यापित कराया जाकर आयु त कोष एवं लेखा को सूचित किया जायेगा।

/kukns'k dk eqnz.k %&

9 कार्य संबंधी देयक में उल्लेखित विवरण की प्रविष्टि कोषालय स्थित क प्यूटर सर्वर में करने तथा चेक मुद्रण हेतु नि नलिखित तीन विकल्प उपलब्ध होंगेः–

(i) कोषालय पर कार्यपालन यंत्री द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत किसी सहायक यंत्री अथवा अनुविभागीय अधिकारी या लेखापाल या वरिष्ठ लेखा लिपिक द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) कोषालय के अधिकृत कर्मचारी द्वारा,

(iii) कोषालय क प्यूटर से इंटर `स की सुविधा उपलब्ध होने पर कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा ।

उ त तीनों विकल्पों में किसी एक का चयन कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जायेगा।

10 निर्माण कार्य के देयक का चेक मुद्रण, कार्य योजना, उददेश्य शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष अनुसार प्रस्तावित व्यय को क प्यूटर सर्वर में ीड किये जाने पर स्वतः क प्यूटर जनित होगा। व्यय का विकलन कार्य लेखों के प्रपत्रों के अनुसार स्वतः होगा। इन प्रपत्रों को आयु त कोष एवं लेखा के द्वारा जारी किया जायेगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा लिखित तथा सा ट कापी में प्रपत्रों को पूर्ण कर कोषालय स्थित क प्यूटर सर्वर के माध्यम से संचालनालय कोष एवं लेखा के केन्द्रीय सर्वर पर इन्द्राज कराया जायेगा।

11 संदर्भित पत्र क्र 292/251/ब–1/चार दिनांक 23 मार्च, 2006 को इस परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों की सीमा तक संशोधित किया जाता है।

12 निर्माण कार्यों के आहरण की उपरो त व्यवस्था लोक निर्माण , जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास, ग्रामीण विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभागों पर दिनांक 1 4 2007 से लागू की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ए पी ीवास्तव
सचिव,मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग

क्रमांक 263/आर–190/चार/ब–1/07 भोपाल, दिनांक 11/03/2007

प्रतिलिपिः–

1 आयु त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2 समस्त संभागीय आयु त ।
3 संचालक, बजट मध्यप्रदेश वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, भोपाल
4 प्रमुख / मुख्य अभियन्ता, नर्मदा घाटी विकास/लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ ग्रामीण विकास/अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना, मध्यप्रदेश।
5 समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
7 समस्त संयु त संचालक, कोष, लेखा एवं पेन्शन, मध्यप्रदेश।
समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9 प्रमुख महालेखाकार, मध्यप्रदेश वालियर/भोपाल।
10 महाप्रबंधक स्थानीय मुख्य कार्यालय स्टेट बैंक आ इंडिया/इन्दौर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अदिति कुमार त्रिपाठी
अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग

परिशिष्ट– क

dk;kZy; ctV fu;a=d vf/kdkjh

dk;kZy; ctV vkoaVu la'kks/ku vkns'k

क्रमांक/ /बजट/200 –200

भोपाल, दिनांक

राशि पयों में

जिनमें बजट आवंटन ब या जा रहा है							अधिक मांग के कारण	जिनमें बजट आवंटन कम किया जा रहा है						बचत के कारण
बजट शीर्ष तथा कार्य का नाम	कार्य का नाम	वर्ष हेतु स्वीकृत प्रावधान	माह तक का व्यय	माह मार्च तक का अनुमानित व्यय	वर्ष हेतु कुल व्यय	आधि य की राशि की पूर्ति के मद		बजट शीर्ष तथा कार्य का नाम	वर्ष हेतु स्वीकृत प्रावधान	माह तक का व्यय	माह मार्च तक का व्यय	वर्ष हेतु कुल व्यय	बचत के कारण से उपलब्ध राशि	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

बजट नियंत्रक अधिकारी